

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीतारसीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंगर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./124/2024

1. दिनेश पुत्र महावीर जाति लखेश(लखारा) निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. रूकमा पत्नी महावीर जाति लखेश(लखारा) निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. नीलू पुत्री महावीर जाति लखेश(लखारा) निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. रेश्मा पुत्री महावीर जाति लखेश(लखारा) निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-07.08.2024

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री धर्मवीर बामनियां
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा पाड़लियां तालाब पटवार पाड़लियां भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 393 में दर्ज खसरा नं. 1460 रकबा 0.56, खसरा नम्बर 1465 रकबा 0.05 और खसरा नम्बर 1769 रकबा 0.28 कुल किता 03 कुल रकबा 0.89 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश नहीं करते हुए, प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पत्रावली वास्ते बहस नियम की गई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम करांटी के खाता संख्या 393 संवत 2073-2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा पाड़लियां तालाब पटवार पाड़लियां भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 393 में दर्ज खसरा नं. 1460 रकबा 0.56, खसरा नम्बर 1465 रकबा 0.05 और खसरा नम्बर 1769 रकबा 0.28 कुल किता 03 कुल रकबा 0.89 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार नागोला को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फौसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो।
निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

